मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2276
09.12.2024 को उत्तर के लिए

उद्योगों से होने वाला प्रदूषण

2276. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिलों में प्रदूषणकारी उद्योगों की नियमों के अनुसार जांच की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिलों में प्रदूषण फैलाने वाले किन-किन उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है:

(ग) प्रदूषण फैलाने वाले उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें नियमों का पालन न करने के कारण बंद कर दिया गया है; और

(घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किन-किन कंपनियों को बंद करने के आदेश रद्द कर दिए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिलों में संचालित 12 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों का जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत जारी सहमति और खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के तहत जारी प्राधिकरण के तहत शर्तों के अनुसार सहमति शर्तों के अनुपालन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किए गए उद्योगों की सूची **अनुलग्नक-I** में संलग्न है**।** इसके अलावा एमपीपीसीबी ने सूचित किया है कि सभी इकाइयां अनुपालन कर रही हैं और वर्ष 2024 के दौरान कोई कारण बताओ नोटिस/बंद करने के निर्देश जारी नहीं किए गए।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पिछले पांच वर्षों अर्थात् नवंबर 2019 से नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिलों में स्थित उद्योगों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत कोई बंद/निरसन आदेश जारी नहीं किया है ।

*****

अनुलग्नक-I.

नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिलों में निरीक्षण किए गए उद्योगों की सूची

क्र. सं.	उद्योग का नाम	उद्योग का प्रकार	स्थिति (अनुपालन/अनुपालन नहीं)
1.	मैसर्स सिक्योरिटी पेपर मिल (भारत सरकार वित्त मंत्रालय), ग्राम किसनपुरा, जिला नर्मदापुरम	लुगदी और कागज	अनुपालन
2.	मैसर्स रामदेव शुगर प्राइवेट लिमिटेड, ख. सं. 32/2, 33/2 दूरभाष नं. 23, ग्राम-थानी, तहसील बनखेड़ी, जिला नर्मदपुरम	चीनी	अनुपालन
3.	राज राजेश्वरी शुगर प्रा. लिमिटेड - विल. मोहपानी, तालुका, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर	चीनी	अनुपालन
4.	आकृति शुगर मिल प्रा. लिमिटेड विला. - तुम्बा, तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर	चीनी	अनुपालन
5.	करेली शुगर मिल्स प्रा.लि. करेली, जिला नरसिंहपुर	चीनी	अनुपालन
6.	महाकौशल शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड - बचई, नगर: बचई, जिला नरसिंहपुर	चीनी	अनुपालन
7.	नर्मदा शुगर प्रा. लिमिटेड सालिचौका, जिला नरसिंहपुर	चीनी	अनुपालन
8.	शक्ति शुगर मिल प्रा.लि. ग्राम कोडिया जिला नरसिंहपुर	चीनी	अनुपालन
9.	वंशिका शुगर एंड पावर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-बिलगुआ, तहसील-तेंदुखेड़ा, जिला-नरसिंहपुर	चीनी	अनुपालन
10.	बीएलए पावर प्रा. लिमिटेड, ग्राम-निवारी, डाकघर खुर्सीपार, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (90 मेगावाट)	थर्मल पावर	अनुपालन
11.	एनटीपीसी आईटीडी (एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट), हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला नरसिंहपुर	थर्मल पावर	अनुपालन
12.	मैसर्स नर्मदा शुगर प्रा. लिमिटेड, (इथेनॉल) सालीचौका, आदेगांवखुर्द, तहसील गाडरवार, जिला नरसिंहपुर	इथेनॉल	अनुपालन

*****